प्रेषक

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
सिंचाई भवन, "बी ब्लाक", पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।
☎ : 0172–2573875

सेवा में,

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

यादि क्रमांक टीए–(एटीआई)2016 / 392
दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषयः– **स्टेट एस0ए0एस0, भाग–1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना – 16वां कोर्स ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि एस0ए0एस0 भाग–I के प्रशिक्षण का 16वां कोर्स **07 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर, 2016** तक प्रायोजित किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला को दिनांक 21.10.2016 तक भेजें । सिफारिश किये गये कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम **स्नातक'** तथा सरकारी नियमित सेवा **तीन वर्ष** या इससे अधिक हो । **जो कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–I का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये ।**

3. नाम भेजते समय कृपया निम्नलिखित सूचना भी स्पष्ट रूप से भेजी जायेः–

1.	कर्मचारी की जन्म तिथि	
2.	सरकारी सेवा में आने की तिथि नियमित व तदर्थ सेवा का ब्यौरा अलग–अलग स्पष्ट करें ।	

प्रेषक

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
सिंचाई भवन, "बी ब्लाक", पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।
☎ : 0172–2573875

सेवा में,

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

यादि क्रमांक टीए–(एटीआई)2016/392
दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषयः– स्टेट एस0ए0एस0, भाग–1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना – 16वां कोर्स ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि एस0ए0एस0 भाग–I के प्रशिक्षण का 16वां कोर्स **07 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर, 2016** तक प्रायोजित किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला को दिनांक 21.10.2016 तक भेजें । सिफारिश किये गये कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम **स्नातक**' तथा सरकारी नियमित सेवा **तीन वर्ष** या इससे अधिक हो । जो **कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–I का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये ।**

3. नाम भेजते समय कृपया निम्नलिखित सूचना भी स्पष्ट रूप से भेजी जायेः–

1.	कर्मचारी की जन्म तिथि	
2.	सरकारी सेवा में आने की तिथि नियमित व तदर्थ सेवा का ब्यौरा अलग–अलग स्पष्ट करें ।	

3.	कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता	
4.	कर्मचारी के अन्तिम 10 वर्षो या यदि सेवा काल 10 वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल की गोपनीय रिपोर्टो का ब्यौरा :–	क. कुल रिपोर्टो की संख्या = ख. अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्कृष्ट रिपोर्टो की संख्या = ग. औसत रिपोर्टो की संख्या = घ. औसत से कम रिपोर्टो की संख्या = ङ उन रिपोर्टो की संख्या जिनमें कर्मचारी की ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया गया हो =

4. केवल उन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की जाये जिनकी पिछले दस वर्षो, यदि सेवा काल दस वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल में **70 प्रतिशत** गोपनीय रिपोर्ट अच्छी/बहुत अच्छी/उत्कृष्ट हो और इस अवधि में जिनकी ईमानदारी कभी सन्देहयुक्त न रही हो । विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष कृपया यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि जिन कर्मचारियों की वे इस कोर्स के लिये सिफारिश कर रहे है उनकी ईमानदारी कभी भी सन्देहयुक्त नहीं रही है ।

5. कर्मचारी के आवेदन पत्र कृपया अपनी सिफारिश के साथ इस संस्थान को भेजें । यह भी देखा गया है कि कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–I की परीक्षा के लिये नियत पुस्तकों के बिना ही आ जाते हैं और उनमें बहुत से नियमों की प्रारम्भिक जानकारी के बिना होते हैं और न ही वे अच्छी तरह से लिखने की क्षमता रखते हैं । पुस्तकों/नियमों की प्रारम्भिक जानकारी तथा लिखने की क्षमता के बिना उनके लिये ठीक प्रशिक्षण प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । इसलिये आपसे अनुरोध है कि उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास निर्धारित पुस्तकें है और वे एस.ए.एस. परीक्षा को पास करने के लिये वास्तव में उत्सुक है और नियमों की जानकारी में रूचि और लिखने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं तथा परिश्रमी है।

6. उन कर्मचारियों को, जिन्होंने किसी अन्य ऐसे पद, जिस पर नियुक्ति के कारण उन्हें प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना पड़े, के लिये आवेदन पत्र दिया हो, के नाम की सिफारिश न की जाये ।

7. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता हरियाणा सिविल सेवा यात्रा (भत्ता नियम) 2016 के नियम 51 के तहत तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।

8. कर्मचारी को पद मोचन करके इस संस्थान में दिनांक 07.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक उपस्थित होने के आदेश दे । आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थी को पदमोचन करने से

पूर्व कृपया आप फिर से देख ले कि यह कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–1 की परीक्षा देने के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये हुये नियमों के अनुसार पूरी तरह से योग्य है । आप द्वारा ऐसे कर्मचारियों को इस संस्थान में भेजने से पहले नॉन–ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक बांड भी भरवाना होगा, जिसकी प्रति संलग्न है । इस बांड को आपने अपने कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित रखना है और इस संस्थान को इसकी फोटो प्रति भेजते हुये केवल उसकी सूचना देनी है कि यह बांड भरवा लिया गया है ।

10. प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये फिलहाल छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं हैं और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यहां पर ठहरने के लिये प्रबन्ध स्वयं करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को दोपहर का भोजन तथा दो समय चाय दी जाती है । यह परिपत्र Director, Treasuries and Accounts, Haryana की वैबसाईट (http://www.hrtreasuries.gov.in/) से भी डाउन लोड किया जा सकता है ।

प्रधानाचार्य
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
पंचकूला ।

पृ0क्रमांक टीए–(एटीआई)–2016/393 दिनांक 31 अगस्त, 2016

इसकी एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी बोर्डज़, निगमों व विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाती है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उन कर्मचारियों का नाम रिकमैण्ड करके भेजें, जोकि 'निर्धारित शर्तो को पूरी करता हो । आप के कार्यालय द्वारा 4000/– रूपये टयूशन फीस की राशि ड्राफ्ट द्वारा इस प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के एक सप्ताह के अन्दर एकमुश्त जमा करवानी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान/निगम/बोर्ड आदि की अपनी जिम्मेवारी होगी।

प्रधानाचार्य 29-7-16
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
पंचकूला ।